अनुशंसायें

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

1) सभी अस्पताल और एएफएमएसडीस् कार्यभार एवं व्यय की पूर्व-प्रवृति को ध्यान में रखते हुए बजट आंकलनों को तैयार कर सकते हैं, और डीजीएएफएमएस ऐसे आंकलनों के आधार पर निधियों का आवंटन कर सकता है । निधियाँ अस्पताल के उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत हेतु पृथक रूप से आवंटित की जा सकती हैं ।

2) मंत्रालय एवं डीजीएएफएमएस आवश्यकताओं की पुनःरीक्षा उपरांत वार्षिक अधिप्राप्ति योजना (एएपी) को युक्तिपूर्ण बनाकर तथा समयबद्ध तरीके से एएपी को कार्यान्वित करके अपने अस्पतालों को आधुनिक बना सकते हैं ।

3) डीजीएएफएमएस कार्यभार संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए यथोचित आंकलन के आधार पर अस्पतालों में सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारियों, विशषज्ञों, नर्सिंग, और पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती को नियमित कर सकता है ।

4) एएफएमसी से उत्तीर्णोपरांत चिकित्सा कैडटस् के पलायन को प्रोत्साहन एवं निरूत्साहन की उचित योजना अपना कर हतोत्साहित किया जा सकता है ।

5) सभी अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता की व्यापक रूप से पुनःरीक्षा एवं विद्यमान अंतरालों, जो कि काफी अधिक हैं, को भरने हेतु तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

6) वार्षिक अधिप्राप्ति योजनाओं के अंतर्गत नियोजित अधिप्राप्तियों की गति को प्रासंगिक बनाए रखते हुए आधुनिकीकरण को गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है । यह तभी संभव होगा यदि बजटीय परिव्यय महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जाए एवं अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अधिक सक्षम बनाया जाए।

7) कीमती उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत को सुगम बनाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं । कमान मरम्मत कक्षों एवं एएफएमएसडी पुणे में तकनीकी मानव-शक्ति में कमियों को आपातकालिक/छोटी मरम्मतें करने के लिए विद्यमान मानव-शक्ति की कारीगरी/कौशल में उन्नति के साथ उत्तम बनाया जा सकता है ताकि उपकरणों के डाउन-टाईम को कम किया जा सके।

8) डीजीएएफएमएस गुणवत्तायुक्त औषधियों की अधिप्राप्ति हेतु आंतरिक प्रक्रियाओं को निर्धारित पद्धतियों के कड़े क्रियान्वयन द्वारा मजबूत कर सकता है। विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया आवधिक रूप से जाँची जा सकती है और निर्धारित मानकों से कोई भी विचलन निरपवाद रूप से जाँचा जा सकता है ।

9) डीजीएएफएमएस आरसीज् के प्रचालन की प्रणाली अधिक कुशल तथा प्रेषिती की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु पुनःसज्जित कर सकते हैं । आरसीज् के निष्पादन में बैकलॉग को हटाया जा सकता है । यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते है, कि प्रत्यक्ष माँग अधिकारी प्रथम अवसर पर ही आरसी धारकों को आपूर्ति आदेश दिये बिना स्थानीय-अधिप्राप्ति पर आश्रित न हों ।

10) एएफएमएसडी सभी आश्रित अस्पतालों में औषधियों की आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि उनके द्वारा स्थानीय अधिप्राप्ति न्यूनतम हों ।

11) अस्पतालों में स्थानीय रूप से अधिप्राप्त पीवीएमएस/एनआईवी ड्रग्स/उपभोग्य वस्तुओं के ब्रॉंडस् तथा दरों में बड़े विचलनों के दृष्टिगत डीजीएएफएमएस औषधियों/दवाईयों की अधिप्राप्तियाँ नियमित करने एवं एएफएमएसडीज द्वारा आरसीज् और केन्द्रीय-खरीद माध्यम से अधिप्राप्ति में वृद्धि हेतु प्रभावी कदम उठा सकता है ।

12) उपभोग्य वस्तुओं और औषधियों के प्रेषणपूर्व परीक्षण एवं पोस्ट-लैब परीक्षण हेतु एएफएमएस में गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को अधिक कड़ा बनाने के लिए शीघ्र एवं प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं ।

13) औषधियों हेतु विद्यमान शीत भण्डारण सुविधा एवं ऐम्बुलेंसो के धारण में कमियों का यथोचित समय के भीतर सुधारात्मक उपचार किया जाना चाहिए ।

14) स्वास्थ्य उपचार संस्थापनाओं द्वारा जैव-चिकित्सा कचरा (प्रबंधन एवं संचालन) अधिनियम 1998 का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीएएफएमएस द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

15) औषधियों, आधारभूत संरचना तथा मानव-शक्ति की उपलब्धता में सुधार, विशेषकर गैर-सैन्य स्टेशनों पर उपकरणों हेतु मानव-शक्ति तैनाती सुनिश्चित करने के साथ-साथ ईसीएचएस माध्यम से पर्याप्त रोगी-उपचार का प्रावधान करने के लिए प्रभावी एवं शीघ्र कदम उठाए जा सकते हैं।